

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

दिनांक: 13.04.2016

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/64
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00063
CICOM/R/2015/01146
अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा-2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 - बरौनी - 851112.
जिला - बेगुसराय, बिहार ।

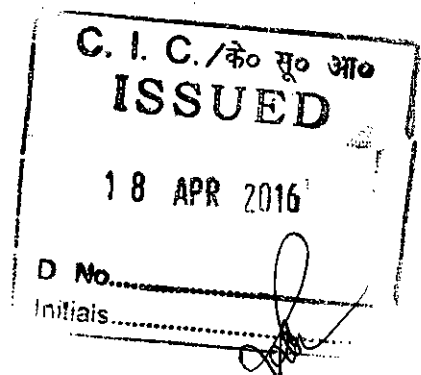
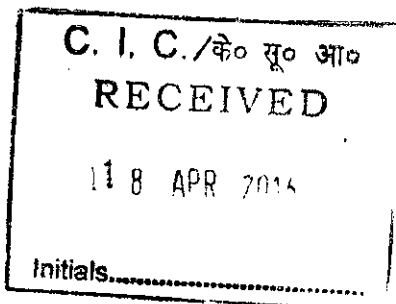
निर्णय की तारीख : 13.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.10.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	18.10.2015
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.12.2015
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	179965/08.12.2015
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	599/09.12.2015

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आवेदन वापस लौटाए जाने के संबंध में सूचना मांगी थी । अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि अभी तक उन्हें वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 27.10.2015 का आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 19.11.2015 को डायराईज हुआ तथा दिनांक 26.11.2015 को श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी को ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया तथा श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 18.12.2015 को वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई गई, परन्तु अपीलकर्ता द्वारा उससे पूर्व ही दिनांक 04.12.2015 को प्रथम अपील दाखिल कर दी गई है । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु प्रदान की गई सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है ।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।



4. प्रस्तुत संदर्भ में यदि अपीलकर्ता प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो अधिनियम के तहत सूचना प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पुनः प्रथम अपील दाखिल की जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है।

संलग्नक : यथोपरि।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Recd on
18/4/16